

मध्य रेल

सं: एसयूआर/पी/कमर्शियल/एमएसीपी/118



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,

कार्मिक शाखा, सोलापुर

दिनांक: 15/02/2019

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER NO.66 / 2019

विषय: वाणिज्य विभाग के समूह 'ग' रेल कर्मचारियों के लिए संशोधित अशवासित प्रोन्नत योजना के अंतर्गत वित्तीय अप-ग्रेडेशन.

संदर्भ : 1) रेलवे बोर्ड का दि.10.06.2018 का पत्र सं: पीसी-V/2009/एसीपी/2. 2) मुख्यालय का दि. 16.06.2018 का पत्र सं: एचपीबी/VI/पीसी/आर/VIII.3) इस कार्यालय का दि.06.07.2009 का पत्र सं: यू(पी)आर.4) इस कार्यालय का दि.15/02/2019 का पत्र सं:एसयूआर/पी/कॉन /एमएसीपी/वाणिज्य/ग्रुप सी.

वाणिज्य विभाग के निम्नलिखित ग्रुप सी कर्मचारियों को उनके नाम के आगे दर्शाए अनुसार एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया जाता है: -

क्र. सं.	नाम सर्व श्री	पदनाम/ स्टेशन	वर्तमान लेवल/ जीपी	देय एमएसीपी संख्या/दिनांक	भविष्य में लेवल/जीपी
01	परवीन एस इनामदार	CBS/GR	लेवल-7(4600)	3 rd 14/04/18	लेवल-7(4600)
02	एम वी जाधव	CI/SUR	लेवल-6(4200)	3 rd 09/04/18	लेवल-7(4600)
03	ए एम लोहोकरे	CCI/SUR	लेवल-7(4600)	3 rd 09/04/18	लेवल-7(4600)

उपर्युक्त कर्मचारी जिन्हें वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया जा रहा है वे आईआरईसी व्हेल्यूम-II (छठवा संस्करण) के नियम सं: 1313(1)(ए)(i) के अंतर्गत कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किए जाने पर उनके पदनाम, वर्गीकरण या उच्च स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तथापि वित्तीय और सृजित अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा वेतन प्राप्त करने से संबंधित है जैसे कि एचबीए, सरकारी निवास आबंटन के लिए अनुमति होगी।

यदि रेल प्रशासन के यह ध्यान में आता है कि कर्मचारी, एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ के लिए किसी कारण से पात्र नहीं पाए जाने पर ऐसे कर्मचारी को प्रदान किया गया वित्तीय अपग्रेडेशन वापस लिया जाएगा। एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी का पूरी तरह से वैयक्तिक है और उसकी वरियता स्थिति से कोई संबंध नहीं है। यह कार्यालय आदेश इस शर्त पर जारी किए जाते हैं कि कर्मचारी डीएआर, वीआईजी और एसपीई मामलों के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं भुगत रहा है।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रेम कुमार शर्मा)

कृते मंडल कार्मिक अधिकारी(समन्वय)

सोलापुर

प्रतिलिपि/-वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरि.मंडल वित्त प्रबंधक/ सोलापुर को जानकारी के लिए।

प्रतिलिपि/-स्टेशन प्रबंधक/कलबुरगि, वाणिज्य नियंत्रक सोलापुर को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

प्रतिलिपि/-कार्यालय आदेश, संवर्ग फाइल और वैयक्तिक फाइल के लिए।